

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- अटल सेवा केन्द्र, लोहिडी


प्रकरण सं.:- 78/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1313

दिनांक:- 5.6.18

आदेश

वादी के वाद पत्र एवं पटवारी भूका वागतसिंह व भू.अ.नि. भूका वगतसिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अनुसरण में ग्राम लोहिडी तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2072-2075 में खाता संख्या 9, 10 में वर्तमान में अशुद्ध प्रविष्टि लुम्मा पुत्र राजू के स्थान पर लूम्वाराम पुत्र राजूराम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी
दिनांक:- 5.6.18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1314-16
प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री लूम्वाराम पुत्र राजूराम निवासी लोहिडी तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी